आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं0– ..... से .....

जिला – गिरिडीह, अंचल – धनवार, विविध वाद सं0– 14/सन–2024– 25

केस का प्रकार – विविध वाद

आदेश का क0 सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
15.01.2025	–:आदेशः – यह विविध वाद अभिलेख सं0– 14/सन–2023– 24 आवेदक मो0 मकसुद आलम, पिता– मुस्तिकीम अंसारी, ग्राम– बसगी, पंचायत– गलवाती, थाना– धनवार, जिला– गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0– 03 श्री रामलखन मिस्त्री के द्वारा अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन निम्न प्रकार है : – 1. आवेदित मौजा– बसगी, थाना नं0– 147, खाता सं0– 05, प्लॉट नं0– 73, 120, 123 क्रमशः रकवा– 55 डी0, 15 डी0 26 डी0 वो अन्य भूमि रैयती खाते की है। ऑनलाईन पंजी– II के भाग सं0– 03, पृष्ठ सं0– 63 पर भिखारी मियाँ वगैरह के नाम से जमाबंदी दर्ज है। खाता सं0– 5 का लगान खाता सं0– 06 में शामिल है। 2. उक्त भूमि इब्राहिम मियाँ वो मुस्लिम अंसारी वो इस्लाम अंसारी वो अब्दुल कैयुम पिता स्व0 भिखारी मियाँ, साकिन बसगी ने केवाला सं0– 3471, दिनांक– 29.08.2024 को रेहाना खातुन पति मो0 इस्लाम उद्दीन साकिन कोडवाडीह के साथ बिक्री कर दिया। जिस वजह से मो0 मकसुद आलम पिता मुस्तिकीम अंसारी वो अन्य सभी साकिन बसगी के द्वारा दा0 सा0 पर रोक लगाने हेतु अनुरोध किया है। पूछ– ताछ करने पर बताया गया कि पूर्वजों के बंटवारा के मुताबिक उक्त प्लॉट पर हमलोगों का दखल – कब्जा एवं कच्चा मकान भी बना हुआ है। 3. उभय पक्षों के बीच अपना– अपना होने को दावा किया जा रहा है। जिसके कारण दा0 खा0 केश नं0– 1226/2024 – 25 को अस्वीकृत की जा सकती है। 4. इब्राहिम मियाँ वगैरह के द्वारा खाता सं0– 05 का जमाबंदी भाग सं0– 3, पृष्ठ सं0– 63 पर कायम जमाबंदी का लगान अलग से वसुली करने का अनुरोध किया गया था। 5. विविध वाद सं0– 03/2024 – 25 के द्वारा खाता सं0– 05 का लगान राजस्व हित में चालु किया गया था। लेकिन आपसी विवाद को देखते हुए पुनः खाता सं0– 05 का लगान यथावत रखने हेतु विविध वाद सं0– 03/2024 – 25 के आदेश को रद्द किया जा किया जा सकता है। उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर पक्ष रखने को कहा गया। निर्धारित तिथि दिनांक– 13.12.2024 को उपस्थित हो कर प्रथम पक्ष ने कहा है कि भूमि पर पूर्व से ही सभी लोग सामिलात (सम्मिलात) रूप से दखल– कब्जा कर जोत – आबाद करते आए हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा जालसाजी कर मौजा बसगी मे खाता सं0– 05 का लगान अलग कराया	

(5)

गया है। जिसकी उन्हें कोई जानकारी पूर्व में नहीं रही। उन्होंने पूर्व के लगान की व्यवस्था को बहाल करने का अनुरोध किया है।

द्वितीय पक्ष से दखल के बिन्दु पर पूछे जाने पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सका है। उनका कहना है कि प्रथम पक्ष उनके रिश्तेदार हैं। सभी पक्ष अपना – अपना हिस्सा पर पूर्वजों के समय से दखलकार रहकर खेती बाड़ी तथा घर बनाकर दखलकार हैं।

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक– 08.01.2025 को दाखिल जबाव निम्न प्रकार है : –

1. That, I have received a notice dated 27-11-2024 under your seal and Signature mentioning that "land pertaining to mouza – Basgi, Thana no. – 147, khata No. – 5, Under Plot No. – 73, 12, 123 measuring Area 55 Dec., 15 Dec, & 26 Dec respectively belongs to me vide as Khatiyani Land in the name fo my ancestors Piru miya & others. And the rent receipt of the khatiyan under Khata No. 5 & 6 is issued in the name of Hemtali miya.
2. That the said Piru miya, Gokul & Sodhu miya and others are the ancestors of 1st Party and a genealogy table showing our relation has also been annexed with this petition as Annexure. The land of share of all the khatiyan holders were separated and all came in peaceful possession over their share of land.
3. That the actual fact is that the rent receipt of Khata No. 5 & Khata No. 6 is jointly issued since very beginnig in the name of Hemtali miya and is under the share of 1st Party. Also the 1st party and his ancestors are cultivating the said land and has clear long peaceful possession over the same.
4. That everything was going well and in peaceful manner but suddenly the firt party member came to know that the members of 2nd Party unlawfully without having any authority and possession sold the above noted land to one Rehana Khatoon W/o Islam miya vide sale deed bearing no. - . The said sale was done by unauthorized people who don't have any right, title & possession over the said land.
5. That the members of the 2nd Party unlawfully and putting the concerned authority in dark separated the rent receipt of Khata no. 5 & 6. And on basis of that executed the above noted sale deed.
6. That 1st Party has every piece of document showing his title and possession over the abovementioned piece of land and there is no any even not as single penny like doubt over it. While the second Party have not even a single chit of paper to support their contention over the said land. And just by using criminal force and by misleading the concerned authorities they are trying to snatch the land belonging to 1st Party.

PRAYER

In the above facts and circumstances stated above, it is most respectfully prayed that this learned court may be pleased to : -

1. Dismiss the separation of Rent Receipt of Khata No. 5 & 6 and restore the previous joint issuing of rent receipt of Khata No. 5 & 6 ,
2. Dismisss if any petition filed by the buyer of the land for mutation of the above mentioned land,
3. Grant any other relief as deems fit

बहस के दौरान प्रथम पक्ष के द्वारा लगान रसीद सं0– 0346021387, खतियान जिसका खाता सं0– 5 एवं 6 (मौजा– बसगी) की छायाप्रति पेश किया है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा खाता सं0– 05 (मौजा– बसगी) का खतियान की छायाप्रति पेश किया गया है। जिसमें स्पष्ट उल्लेख है "लगान शामिल खाता सं0– 06"

प्रथम पक्ष का कहना है कि खतियान के आधार पर खाता सं0– 05 एवं 06 (मौजा– बसगी) का लगान पूर्व की भाँति एक साथ पंजी– II (ऑनलाईन) के भाग सं0– 03 के पृष्ठ सं0– 75 में वसूलने का आदेश दिया जाए।

सभी पक्षों को सुनने तथा उनके कागजात का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में द्वितीय पक्ष के द्वारा साक्ष्यों को छुपाकर गलत ढंग से खाता सं0– 05 एवं खाता सं0– 06 का अलग – अलग लगान वसूलने का आदेश अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त किया गया था। दखल के बिन्दु पर भी द्वितीय पक्ष के द्वारा कोई साक्ष्य/कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही साबित किया गया।

अधोहस्ताक्षरी के विविध वाद सं0– 03/2024 – 25 में दिनांक– 01.06.2024 को पारित आदेश को रद्द करने के निमित आम इश्तेहार निर्गत किया गया। जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्धारित तिथि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः सभी पक्षों के द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य एवं कागजात तथा बहस के अवलोकन के पश्चात आम इश्तेहार पर कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी के विविध वाद सं0– 03/2024 – 25 में दिनांक– 01.06.2024 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है।

संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0– 03 एवं अंचल निरीक्षक, धनवार को तदनुसार पंजी– II एवं अन्य राजस्व संबंधी कागजातों में सुधार करने का निदेश दिया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

15.01.25

अंचल अधिकारी,
धनवार।

15.01.25

अंचल अधिकारी,
धनवार।

Digitally signed by Gulzar Anjum
Date: 2025.01.16 20:49:15 +05:30
Location: 192.168.137.1